

## मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि



### उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फ़ैक्स 05942-236552, ई-मेल : [slsa-uk@nic.in](mailto:slsa-uk@nic.in) [ukslsanainital@gmail.com](mailto:ukslsanainital@gmail.com)

## मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि

### 1. मोटर दुर्घटना से क्या अभिप्राय है :-

प्रायः हर व्यक्ति को यात्रा करने के लिए निजी या पब्लिक वाहन का प्रयोग करना पड़ता है। जब किसी वाहन की दुर्घटना होती है तो उसमें सवार व्यक्तियों को चोटें आना संभव है। कभी-कभी मोटर दुर्घटना होने से सवार व्यक्तियों को गंभीर चोटें ही नहीं आती बल्कि मृत्यु भी हो जाती है, जबकि वाहन में सवार व्यक्तियों का दोष नहीं होता, फिर भी ड्राइवर की गलती व लापरवाही के कारण दुर्घटना होने पर वाहन में सवार व्यक्तियों को नुकसान उठाना पड़ता है। दो पहिया या चार पहिया वाहन में सवार व्यक्ति का कोई दोष न होने पर भी मोटर दुर्घटना हो जाती है तो उसकी नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि 1988 का सृजन किया गया है। जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को मोटर दुर्घटना से नुकसान होता है, वह व्यक्ति वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं बीमा कम्पनी के विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में पिटीशन दायर करके दुर्घटना में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति को मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार वालों की ओर से तथा दुर्घटना में चोटें आने पर वह व्यक्ति स्वयं न्यायालय में पिटीशन दायर कर सकता है। इसी प्रकार दो वाहनों के आपसी टक्कर से मोटर वाहन को भी नुकसान हो सकता है, जबकि इसमें दो वाहन के चालक में एक को कोई दोष नहीं होता। ऐसी दशा में दोषी चालक के विरुद्ध दुर्घटना में जो नुकसान उसके वाहन को हुआ उसकी भरपाई भी न्यायालय में पिटीशन दायर कर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार मोटर दुर्घटना से अभिप्राय यही है कि जब किसी चालक द्वारा गलती अथवा लापरवाही से वाहन को दुर्घटनाग्रस्त किया जाता है और उसमें सवार व्यक्तियों को चोटें आती हैं अथवा किसी की मृत्यु हो जाती है, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो मोटर वाहन में सवार न भी हो और वह सड़क पर बाईं ओर रास्ते पर चल रहा हो और मोटर चालक की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु अथवा उसे चोटें आने से जो क्षति होती है उसकी पूर्ति भी इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। इस प्रकार जब मोटर दुर्घटना से किसी व्यक्ति को चोटें आती हैं तो सभी नुकसान की भरपाई भी इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अतः मोटर दुर्घटना से अभिप्राय मोटर चालक की लापरवाही से वाहन का दुर्घटनाग्रस्त करके किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है।

### 2. मोटर दुर्घटना होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए :-

जब भी कोई व्यक्ति किसी वाहन पर सफर कर रहा हो और उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे चोटें आती हो अथवा किसी व्यक्ति द्वारा वाहन में सफर किराया देकर किया जा रहा हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने पास उस वाहन का टिकट जरूर रखें, साथ ही यदि उसके शरीर पर दुर्घटना के कारण चोटें आयी हों तो वह अपनी चोटों को डॉक्टर की मुआयना भी करवायें और डाक्टरी रिपोर्ट अपने पास रखें और जिस वाहन में वह सफर कर रहा था, उसकी दुर्घटना होने की सूचना दुर्घटनास्थल के समीप के थाने पर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस बस पर वह व्यक्ति सफर कर रहा था, उस बस का नम्बर, चालक का नाम पता और उसके साथ अन्य सफर करने वाले व्यक्तियों का पता भी मालूम कर लेना चाहिए ताकि न्यायालय से प्रतिकर प्राप्त करने में उसे आसानी हो और दुर्घटना में उसे हुई शारीरिक नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। यही नहीं यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पैदल चल रहा हो और किसी वाहन अथवा वाहन चालक की लापरवाही अथवा गलती से उस व्यक्ति को चोटें आ जाती हैं तो उस व्यक्ति को तुरन्त उस वाहन का नम्बर नोट कर लेना चाहिए और वाहन अथवा ड्राइवर के विरुद्ध शीघ्र निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए और यदि किसी कारणवश वह ड्राइवर बस लेकर भाग जाता है और बस का नम्बर नोट कर लिया जाता है तो बस नम्बर के साथ घटना का विवरण देते हुए निकटतम थाने में तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने चोटों का डाक्टरी मुआयना भी शीघ्र करवा लेना चाहिए और थाने से उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए और ड्राइवर व वाहन मालिक के बावत भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यथाशीघ्र दर्ज करवायी जाये ताकि मोटर चालक के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करने के साथ क्षतिपूर्ति के लिए भी मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत दावा न्यायाधिकरण न्यायालय में पिटीशन दायर करके मोटर मालिक, मोटर चालक और बीमा कम्पनी से प्रतिकर प्राप्त किया जा सके।

यदि मोटर दुर्घटना से किसी पैदल चलने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आस-पास जिस व्यक्ति द्वारा भी दुर्घटना देखी गयी है तो वह व्यक्ति भी उस वाहन चालक के विरुद्ध स्थानीय पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। जिससे थाने में रिपोर्ट दर्ज करने पर स्थानीय दरोगा घटनास्थल पर जाकर उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर सकें। साथ ही मृतक के परिवार वालों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने पास रखें क्योंकि जब न्यायालय में क्षतिपूर्ति हेतु पिटीशन दायर की जाती है तो यह सिद्ध करने में आसानी हो जाती है कि मृतक की मृत्यु मोटर दुर्घटना में हुई थी। वैसे तो यह पुलिस का दायित्व है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में चोटें आने पर अथवा किसी व्यक्ति मृत्यु होने पर घटना की रिपोर्ट लिखने के बाद मुकदमे की तफतीश करें और मोटर चालक के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करें लेकिन इस दशा में मृतक के परिवार वालों को प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं होती क्योंकि पुलिस द्वारा केवल वाहन चालक के विरुद्ध ही दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार वालों को चाहिए कि वह थाने में लिखी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिनको पिटीशन दायर करने के समय पिटीशन के साथ दाखिल किया जा सके।

### 3. मोटर दुर्घटना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीटिशन दायर करने की प्रक्रिया :-

जब किसी व्यक्ति को मोटर दुर्घटना से चोटें आती हैं तो निश्चय ही उन चोटों के इलाज में ऐसे व्यक्ति को कई रूपों से नुकसान होना स्वाभाविक है और ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए मोटर दावा न्यायाधिकरण की शरण में आकर प्रतिकर के लिए पीटिशन दायर करनी होती है। इस सम्बन्ध में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम की धारा 166 में पीटिशन दायर की जाती है जिसके अधिनियम में ही पीटिशन का प्रारूप दिया गया है जिसके अनुसार ही पीटिशन में तथ्यों को भरकर यह पीटिशन न्यायालय में दायर की जा सकती है। इस पीटिशन को न्यायालय में दायर करने के लिए 10/- रुपये का कोर्टफीस स्टाम्प लगाया जाता है, जिस पर हस्ताक्षर करके न्यायालय में दायर किया जाता है। जिसमें मुख्य-मुख्य उल्लेख इस प्रकार किया जाता है कि यदि मोटर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार के लोग जो मृतक पर आश्रित थे, क्षतिपूर्ति हेतु पीटिशन दायर कर सकते हैं। जो मृतक के विधिक प्रतिनिधि, मृतक की आय पर आश्रित थे, उनका नाम पता, आयु आदि का उल्लेख करना आवश्यक होता है, यह भी उल्लेख करना आवश्यक होता है कि मृतक पर विधिक प्रतिनिधि किस प्रकार आश्रित थे, और यदि मृतक के आश्रित अवस्यक हैं तो उस स्थिति में उनकी ओर से उनके अभिभावक, माता-पिता या संरक्षक न्यायालय में प्रतिकर पीटिशन दायर कर सकता है। इस प्रकार जब न्यायालय में पीटिशन दायर की जाती है, तो न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह इस पर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करके इस पीटिशन को छः माह में निस्तारण करते हुए आवेदक को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर क्षतिपूर्ति अदा करावें।

#### 4. न्यायालय में पीटिशन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जा सकती है :-

मोटर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की क्षति होने पर उसकी भरपाई के लिए यह आवश्यक नहीं है कि क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला व्यक्ति स्वयं न्यायालय में आकर ही पीटिशन दायर करें, बल्कि वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति हेतु न्यायालय में स्वयं न आकर रजिस्टर्ड डाक से अथवा अपने एजेन्ट के माध्यम से पीटिशन दायर कर सकता है।

#### 5. न्यायालय में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध पीटिशन दायर की जा सकती है :-

मोटर दुर्घटना में जब किसी व्यक्ति को नुकसान होता है और उसके द्वारा जब न्यायालय में पीटिशन दायर की जाती है तो निश्चय ही उक्त पीटिशन उन व्यक्तियों के विरुद्ध दायर की जाती है, जो दुर्घटना से सम्बन्धित है ताकि उनके विरुद्ध न्यायालय से क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सके। इसलिए मोटर दुर्घटना में मुख्य तीन व्यक्तियों के विरुद्ध ही पीटिशन दायर की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम चालक, उस दुर्घटनाग्रस्त मोटर का मालिक एवं जिस बीमा कम्पनी से उक्त मोटर को बीमित किया गया था, वह बीमा कम्पनी। अतः जब भी किसी व्यक्ति द्वारा मोटर दुर्घटना पीटिशन दाखिल की जाती है, तो उसमें तीन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ताकि वाहन मालिक, वाहन चालक एवं बीमा कम्पनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकें। चूंकि हर मोटर वाहन का बीमा होता है, इसलिए मोटर वाहन से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई का दायित्व बीमा कम्पनी का ही होता है। इसलिए जो न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आदेश पारित किया जाता है, उसको बीमा कम्पनी से ही सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश मोटर वाहन का चालक का पता नहीं चलता तो मोटर वाहन के मालिक का नाम पता मालूम करना चाहिए और साथ ही आर.टी.ओ. ऑफिस से भी, मोटर मालिक व बीमा कम्पनी का पता किया जा सकता है और इस प्रकार बस मालिक, चालक व बीमा कम्पनी के विरुद्ध न्यायालय में पीटिशन दायर की जा सकती है।

#### 6. न्यायालय में पीटिशन दायर करने से पहले कौन-कौन से कागजातों को इकट्ठा करना लाभप्रद होगा :-

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि मोटर दुर्घटना न्यायालय में पीटिशन दायर करने में कोर्टफीस आवश्यक नहीं है इसलिए किसी भी व्यक्ति का दावा चाहे 100 रुपये का हो या 10 लाख रुपये का हो उसे मात्र 10/- रुपये के कोर्टफीस स्टाम्प के रूप में लगाना होता है। इसलिए न्यायालय में पीटिशन दायर करने में किसी को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती, परन्तु किसी पीटिशन में नुकसान की भरपाई करने के लिए सुदृढ़ कार्यवाही करने हेतु दुर्घटना से सम्बन्धित सभी मुख्य-मुख्य दस्तावेजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जिनको पीटिशन के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ये मुख्य दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट और यदि व्यक्ति को चोटें आयी हों तो डॉक्टर की मुआयना की रिपोर्ट तथा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दाखिल करना होता है, परन्तु जो तीन मुख्य दस्तावेज मोटर वाहन के मालिक के पास ही होते हैं, उन्हें पीटिशन दायर करने से पहले ही प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये चार दस्तावेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं मोटर दुर्घटना की बीमा पालिसी तथा मोटर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस इन चारों दस्तावेजों को यदि सम्बन्धित व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराता या वाहन का चालक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता या मोटर मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देता तो आवेदक इन दस्तावेजों को आर.टी.ओ. ऑफिस से प्राप्त कर सकता है। परन्तु इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि ये चारों दस्तावेज पीटिशन दायर करने से पहले ही प्राप्त करा लिये जायें ताकि इन दस्तावेजों को पीटिशन के साथ दाखिल किया जा सके और यदि किसी कारणवश ये दस्तावेज नहीं मिल पाते तो पीटिशन की सुनवाई के दौरान इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय से सहायता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

#### 7. जिस थाने के अंतर्गत दुर्घटना हुई है उस घटनास्थल के अंतर्गत आने वाले न्यायालय में पीटिशन दायर करना आवश्यक नहीं होता :-

यदि कोई व्यक्ति बम्बई का रहने वाला है और दिल्ली में उसे किसी वाहन से दुर्घटना हो गयी हो तो उस स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वह दिल्ली के न्यायालय में ही पीटिशन दायर करे, बल्कि जिस स्थान पर वह निवास करता है, उस स्थान पर भी यह पीटिशन दायर की जा सकती है। उदाहरणार्थ यदि अहमदाबाद का कोई व्यक्ति यात्रा पर बद्रीनाथ आ रहा हो और बद्रीनाथ के रास्ते में बस चालक द्वारा गलती या लापरवाही के कारण बस खाई में गिर जाती है और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसको चोटें आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में अहमदाबाद का व्यक्ति अहमदाबाद में ही पीटिशन दायर

कर सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि बद्रीनाथ के अंतर्गत न्यायालय ही पीटिशन दायर करे। इस प्रकार इस मोटर वाहन अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि दुर्घटना में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु पीटिशन केवल घटनास्थल वाले स्थान पर में ही नहीं की जा सकती, बल्कि वह व्यक्ति जहां निवास कर रहा है, वहां के न्यायालय में भी पीटिशन दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा-166(2) में इसको इस प्रकार उपबंधित किया गया है कि दावाकर्ता अपने आवेदन को जिस स्थान पर दुर्घटना कारित हुई है, उसकी अधिकारिता रखने वाला दावा न्यायाधिकरण या जहां पर दावाकर्ता निवास करता है या व्यापार संचालित करता है या जहां प्रतिरक्षार्थी निवास करता है, वहां पर पीटिशन दाखिल कर सकता है।

#### **8. मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार वालों को रु. 50,000/- रुपये की अंतरिम राशि तुरन्त पाने का अधिकार :-**

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मोटर दुर्घटना में हो जाती है तो उस मृतक के परिवार वालों को इस अधिनियम की धारा-140 के अंतर्गत तुरन्त अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, चाहे मोटर चालक की इसमें गलती हो अथवा उस व्यक्ति की स्वयं गलती हो और जब कोई पीटिशन दायर की जाती है कि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है, तो प्रथम दृष्टया मोटर दुर्घटना से ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो जाता है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है तो ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार वालों को 50 हजार रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है और बाकि धनराशि मुख्य पीटिशन के निस्तारण पर प्राप्त की जा सकती है।

#### **9. मोटर दुर्घटना में स्थायी निर्योग्यता होने पर 25 हजार रुपये का धनराशि अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जा सकती है :-**

जिस प्रकार मोटर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 50 हजार रुपये की धनराशि अंतरिम क्षतिपूर्ति देय होती है उसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 140 में ऐसे व्यक्ति को जिसे दुर्घटना के कारण स्थायी निर्योग्यता आयी है, वह व्यक्ति 25 हजार रुपये की राशि अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है, बशर्ते कि उनके द्वारा अपना डाक्टरी दाखिल किया जाये जिससे यह सिद्ध हो जाये कि दुर्घटना में उसे वास्तव में स्थायी निर्योग्यता पहुंचाने वाली चोटें आयी हैं। स्थायी निर्योग्यता से अभिप्राय किसी व्यक्ति का स्थायी रूप से अपंग होने से है, अर्थात् किसी व्यक्ति की आंख, हाथ, पैर सदा के लिए बेकार हो जाता है तो उसे इस बारे में कहा जायेगा कि उसे स्थायी निर्योग्यता हुई है, इस प्रकार वह व्यक्ति इस अधिनियम की धारा-140 के अंतर्गत 25 हजार रुपये की धनराशि अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होता है और बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए मुख्य धारा-166 के अंतर्गत पीटिशन के निस्तारण पर उसे उपलब्ध कराया जाता है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-142 के स्थायी निर्योग्यता में निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया है -

(क) नेत्र दृष्टि या किसी एक आंख या कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या स्थायी विच्छेद या शरीर के किसी जोड़ का विच्छेद हुआ हो या,

(ख) किसी अंग या जोड़ों का विनाश या उसकी क्षमताओं में स्थायी कमी आयी है, या

(ग) सिर या चेहरे का स्थायी विदूषण हुआ है।

#### **10. बीमा कम्पनी केवल तृतीय पक्षकार को दुर्घटना के नुकसान की पूर्ति करती है :-**

प्रत्येक निजी वाहन का बीमा होना कानूनी रूप से आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति वाहन अपना बीमा नहीं कराती है, तो वह मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जहां तक तृतीय पार्टी का जश्न है, उससे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है, जो वाहन में सवार यात्री या सड़क पर चलने वाला व्यक्ति या ऐसी गाड़ी पर सवार सभी व्यक्ति जिनकी बिना गलती से दूसरे वाहन के चालक ने लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाकर टक्कर मारी थी। साधारण शब्दों में वाहन दुर्घटना करता है उस वाहन का चालक यदि घायल होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह तृतीय पार्टी न होने के कारण बीमा कम्पनी का उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति का दायित्व नहीं होता। उदाहरणार्थ- यदि स्कूटर की दुर्घटना होने से स्कूटर के चालक एवं उसके पीछे बैठे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या चोटें आ जाती हैं तो स्कूटर की बीमा कम्पनी से केवल पीछे बैठा हुआ व्यक्ति ही तृतीय पार्टी की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी से प्राप्त कर सकता है। इसी तरह यदि किसी टैक्सी के चालक की लापरवाही के कारण टैक्सी खड़ड़ में गिर जाती है तो उस टैक्सी में सवार सभी यात्रियों को चोटें आने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व तृतीय पार्टी के अंतर्गत बीमा कम्पनी का होगा परन्तु जहां तक चालक का प्रश्न है वह यदि टैक्सी मालिक के यहां नौकरी करता था तो उसे टैक्सी मालिक के विरुद्ध वर्कमैन कम्पनसैशन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में पीटिशन फाइल करनी होगी। इसी प्रकार यदि टैक्सी चालक स्वयं मालिक है तो उसको आयी चोटों या मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी किसी प्रकार क्षतिपूर्ति करने के लिए पाबन्द नहीं है। इस प्रकार तृतीय पार्टी से अभिप्राय दुर्घटनाग्रस्त वाहन के अंदर या बाहर जिन लोगों को नुकसान होता है, वह बीमा पालिसी के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

#### **11. यदि दुर्घटनाग्रस्त बस चालक या टैक्सी चालक को क्षति होती है तो उसको वाहन मालिक के विरुद्ध पीटिशन कैसे देनी चाहिए :-**

जिस बस के चालक या टैक्सी चालक की गलती के कारण दुर्घटना होती है तो निश्चय ही अपनी गलती से हुए नुकसान की भरपाई वाहन की बीमा कम्पनी से नहीं की जा सकती है। क्योंकि बीमा कम्पनी तृतीय पक्षकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा पालिसी स्वीकार नहीं करती है। ऐसी स्थिति में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-167 के अंतर्गत ऐसे मृतक चालक के परिवार वाले भी बस या टैक्सी मालिक के विरुद्ध पीटिशन फाइल कर उनके क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में पीटिशन देना होता

है, जहां से प्रतिकर बस मालिक या टैक्सी मालिक से प्राप्त किया जाता है, परन्तु अब इस नये अधिनियम की धारा-167 में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में पीटिशन नहीं दिया गया तो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में पीटिशन देकर बस मालिक या टैक्सी मालिक के क्षतिपूर्ति के रूपये प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है।

## 12. दावा न्यायाधिकरण में दुर्घटना कारित होने के बाद कब तक पीटिशन दायर की जा सकती है :-

जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना से नुकसान होता है तो निश्चय ही उसको प्रतिकर प्राप्त करने हेतु पीटिशन फाइल करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में पहले यह व्यवस्था थी कि दुर्घटना कारित होने के एक वर्ष के अन्दर पीटिशन फाइल कर दी जाये परन्तु अब इसको समाप्त करते हुए दावा न्यायाधिकरण में पीटिशन को घटना कारित होने से एक वर्ष के अन्दर फाइल करना जरूरी नहीं है। अपितु यदि दावा फाइल करने में विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण है तो पीटिशन को एक वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी फाइल किया जा सकता है। वैसे प्रयत्न यही रहना चाहिए कि प्रतिकर प्राप्त करने का प्रतिकर दावा शीघ्र अति शीघ्र दाखिल कर दिया जाये क्योंकि दावा न्यायाधिकरण से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिकर दावा दाखिल होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर उसका निस्तारण कर दें।

## 13. मोटर यान दुर्घटना होने पर प्रतिकर निर्धारण करने की प्रक्रिया :-

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो निश्चय ही उसके परिवार वालों को क्षति स्वाभाविक होती है। जहां तक प्रतिकर की मात्रा का प्रश्न है, वह मृतक की स्थिति को देखते हुए यह भिन्न-भिन्न हो सकती है। यदि मृतक मजदूर है तो निश्चय ही उसके परिवार वालों को जितनी क्षति होगी, वह एक डाक्टर की मृत्यु से होने वाली क्षति की मात्रा से भिन्न होगी। इसी प्रकार एक नवयुवक की मृत्यु तथा एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु में भी क्षति की मात्रा या भिन्नता होगी चूंकि नवयुवक को प्रकृति रूप में कई वर्ष तक जीना था जबकि एक बूढ़े व्यक्ति की यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो कुछ वर्षों तक बुढ़ापे के कारण और जीवित रहता, इसलिए मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने वाले व्यक्ति की आय, आयु एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्रतिकर की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम की अनुसूची-2 में प्राणघातक/क्षतिकारित दावे हेतु तृतीय पक्षकार को प्रतिकर के भुगतान की सूची में व्यापक विवरण दिया गया है। जिसका एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाता है :-

जब किसी व्यक्ति को मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 40-45 वर्ष की आयु थी तो उसकी जो मासिक आय होगी अर्थात् यदि वह 3000/- रुपये प्रति माह कमाता था तो वह अपने पर भी खर्च करता है या देता है, प्रतिमाह आय से 1/3 राशि घटाकर 2000/- रुपये प्रतिमाह की दर से वार्षिक आय लगायी जायेगी जो कि इसमें 2000×12=24000 रुपये बनती है और इस 24000 पर 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए 13 का गुणांक माना गया है। अतः 24000×13 = 312000 कुल इतनी धनराशि सामान्य क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकार की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तयेष्टि के खर्च के लिए रु. 2000/-, यदि मृतक हिताधिकारी पति या पत्नी रहे तो उस क्षति की रकम 5000/- रुपये में स्वीकार किया जाये और इसी तरह सम्पदा को हुए घाटे की रकम के रूप में 2500/- रुपये की रकम देय होगी। अतः इस मामले में 45 वर्ष के मृतक को उसके परिवार वालों को कुल रकम इस प्रकार देय होगी -

मृतक की मासिक आय 3000.00

जिस पर 1/3 स्वयं मृतक पर खर्च होने इत्यादि के रूप में कम कर दिया जाता है और यह 2000.00 प्रतिमाह

वार्षिक आय 2000×12 = 24000

चूंकि 45 वर्ष मृतक पर गुणांक 13 का स्वीकार है।

24000×13 = 312000.00

इस पर अन्तयेष्टि का खर्चा 2000.00

मृतक पति/पत्नी के साथ छूटने पर क्षति 5000.00

सम्पदा से हुए क्षति का खर्च 2500.00

कुल क्षतिपूर्ति : 321500.00

इस प्रकार अधिनियम में दिये गये अन्य गुणांक इस प्रकार हैं :-

यदि मृतक की आय 15 से 20 वर्ष है तो गुणांक 16

..... 20 से 25 ..... 17

..... 25 से 30 ..... 18

..... 30 से 35 ..... 17

..... 35 से 40 ..... 16

..... 40 से 45 ..... 15

..... 45 से 50 ..... 13

..... 50 से 55 ..... 11

..... 55 से 60 ..... 8

..... 60 से 65 ..... 5

## 14. जिसकी आय की निश्चित जानकारी न हो अर्थात् मजदूर हो तो प्रतिकर निर्धारण करने की प्रक्रिया :

जब किसी सरकारी नौकरी या आयकर देने वाले व्यक्ति की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में आय की मात्रा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है क्योंकि उसको मासिक वेतन मिलता था या वह सरकार को

निश्चित आमदनी के आधार पर आयकर अदा करता था परन्तु जहां मृतक कोई मजदूर हो और उसकी मजदूरी के बावत कोई निश्चित आय का अनुमान लगाना सुगम न हो तो उस स्थिति में इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे मृतक व्यक्ति के लिए उसको कम से कम 15000/- रुपये आर्थिक आय मान ली जाये तो 1/3 स्वयं पर खर्च को मानते हुए यदि उसको 45 वर्ष की आयु में मृत्यु होती है तो उस पर को 13 का गुणांक लगाते हुए कुल सामान्य नुकसानी के रूप में कुल धनराशि  $1000 \times 13 = 13000$ /- रुपये के अतिरिक्त उस पर अन्त्येष्टि के रूप में 2000/- रुपये एवं संग छूटने पर 5000/- रुपये कुल 7000/- रुपये जोड़ने पर यह राशि 137000/- रुपये होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत गुणांक को अधिनियम की अनुसूची 2 में किया गया है जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

#### 15. मोटर दुर्घटना में चोटें आने पर प्रतिकर निर्धारण करना :

जहां तक तरफ अधिनियम की धारा-140(2) के अंतर्गत जिस व्यक्ति को चोटों के कारण स्थायी निर्योग्यता होती है तो उसे उसके कारण 25000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आहत व्यक्ति को जीवन काल में जो विशेष नुकसान होता है उसको भी उपलब्ध कराया जाता है इसके अतिरिक्त जो उसकी दवाई पर खर्च होता है उसको मानसिक कष्ट होता है। इसके लिए भी नुकसान की भरपाई की जाती है। इसलिए आहत व्यक्ति का दवाईयों पर खर्च होने के सभी बिल रखने चाहिए और यदि वह छुट्टी पर रहता तो उसके लिए कितना वेतन के रुपये का नुकसान हुआ है और इस प्रकार के जो अन्य सामान्य और विशेष नुकसान होते हैं उन सबकी क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर उपलब्ध कराया जाता है।

#### 16. लोक अदालत से मोटर दुर्घटना दावों का सुलह द्वारा निस्तारण :

प्रायः जिन वाहनों द्वारा दुर्घटना की जाती है वह सभी बीमित होती है और जब किसी वाहन का बीमा हो जाता है तो उसके द्वारा की गई क्षति को पूरा करने का दायित्व बीमा कम्पनी का होता है। अब चूंकि बीमा कम्पनी पर क्षतिपूर्ति की राशि को असीमित कर दिया गया है। अतः दावा न्यायाधिकरण द्वारा जो भी प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की जाती है। वह पूर्ण राशि बीमा कम्पनी को ही देनी होती है। अतः बीमा कम्पनी के अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों को लोक अदालत द्वारा अधिक से अधिक सुलह समझौतों द्वारा निस्तारण करना चाहते हैं। चूंकि मोटरयान अधिनियम में अब मृतक की आयु के अनुसार गुणांक की मात्रा निर्धारित होती है इसलिए प्रतिकर की राशि को निर्धारित करने में भी आर्थिक कठिनाई नहीं होती। इसलिए लाके अदालत के माध्यम से यदि वादों को निपटान किया जाये तो इससे दाना पक्षों को लाभ होता है। लोक अदालत मोटर प्रतिकर के दावों को तभी सुलह से निस्तारण करना संभव होता है, जब आवेदन वाहन चालक का वैध लाइसेंस, मोटर फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं वैध बीमा पालिसी के दस्तावेजों को बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये अन्यथा बीमा अधिकारी द्वारा सुलह करने में कानूनी अड़चन आती है और सुलह करने में कतराते हैं।

#### 17. प्रतिकर की धनराशि डिक्री होने पर उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया :-

जब दावा न्यायाधिकरण द्वारा मृतक के आश्रित परिवार वालों अर्थात् विधिक प्रतिनिधियों द्वारा की गई प्रतिकर पीटिशन या मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्ति द्वारा प्रतिकर पीटिशन स्वीकार होने के बाद निर्धारित प्रतिकर राशि को डिक्री कर दिया जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए वारण्ट जारी करने की व्यवस्था इस अधिनियम में इस प्रकार की गई है कि डिक्रीदार दावा न्यायाधिकरण से वारण्ट जारी कराता है जो कि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ऐसा रिकवरी वारण्ट रैव्यू की रिकवरी के रूप में निष्पादित करता है। इसलिए एक बार दावा न्यायाधिकरण से प्रतिकर की धनराशि डिक्री होने पर उसकी वसूली आसानी से हो सकती है।

#### 18. यदि दुर्घटना कारित वाली वाहन या उसके चालक का पता न हो अर्थात् वाहन अन्जान हो तो सोलेशियम स्कीम 1989 में प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है :-

प्रायः यह देखा गया है कि रात में गांव में आसपास सड़क के किनारे पैदल ग्रामवासियों की ट्रक या अन्य मोटर टक्कर मारकर भाग जाती है जिससे अंधेरे में न तो मोटर वाहन का पता चलता है और न ही उसके चालक की जानकारी हो पाती है। इस प्रकार कभी-कभी सड़क पर ग्रामवासियों को वाहन द्वारा कुचलकर सड़क पर मरे हुए पड़ा देखा जाता है। इस प्रकार कभी-कभी सड़क पर ग्रामवासियों को वाहन द्वारा कुचलकर सड़क पर मरे हुए पड़ा देखा जाता है इन सब वाहन से मरे या चोट खाये व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा-166 में दावा न्यायाधिकरण के सम्मुख पीटिशन फाइल करना इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि न तो गाड़ी के नम्बर का पता है और न ही उसके मालिक एवं बीमा कम्पनी की जानकारी होती है, ऐसे मामलों को राहत देने के लिए सोलेशियम स्कीम 1989 बनाई गयी है, जिसमें प्रतिकर की कार्यवाही करने की प्रक्रिया इस प्रकार है -

#### (क) घटना घटित होने से छः माह के अन्दर प्रार्थना पत्र देना होगा :-

जब किसी व्यक्ति को अंजान वाहन कुचल कर उसकी मृत्यु कर गई हो और वाहन का कुछ भी पता न हो तो मृतक के परिवार वालों द्वारा घटना की तिथि से छः माह के अन्दर पीटिशन फाइल किया जाना जरूरी है। इसलिए ऐसी घटना होने पर इसकी सूचना पुलिस को कर देनी चाहिए ताकि छः माह के अन्दर पीटिशन की जा सके।

#### (ख) यह प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को दिया जायेगा -

जहां यह घटना घटित हुई है। उस घटना के अंतर्गत आने वाली उपखण्ड अधिकारी को यह प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद घटना से सम्बन्धित प्रथम इत्ताला रिपोर्ट, पंचनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करके और जहां पर किसी व्यक्ति को ऐसी अन्जान वाहन से चोट आयी हो तो उसकी आघात रिपोर्ट प्राप्त करके अपनी जांच प्रारम्भ करता है ऐसी जांच अधिकारी जो कि उस क्षेत्र का एस.डी.एम. होता है से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रार्थना पत्र को एक माह के अन्दर जांच अधिकारी प्रार्थना पत्र का निस्तारण करके प्रतिकर की राशि को उपलब्ध कराने सम्बन्धी

अपनी संस्तुति जिलाधिकारी अर्थात जिला मजिस्ट्रेट को भेजता है। तब उस अन्जान गाड़ी के मृतक के परिवार वालों को और यदि अन्जान गाड़ी से किसी व्यक्ति को चोटें आयी हो तो उस व्यक्ति को प्रतिकर की धनराशि का भुगतान कराया जाता है।

**(ग) अन्जान गाड़ी से दुर्घटना होने पर प्रतिकर की राशि सीमित है :-**

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अन्जान गाड़ी से होती है तो उस मृतक व्यक्ति के परिवार वाले सोलेशियम स्कीम 1989 के अंतर्गत 25,0000/- रुपये की कुल राशि प्रतिकर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें अन्जान गाड़ी द्वारा दुर्घटना से आती है तो वह भी प्रार्थना पत्र देकर कुल 12000/- रुपये से अधिकतम राशि प्रतिकर के रूप में प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार यदि मोटर वाहन दुर्घटना से जब किसी को नुकसान होता है तो उसे चाहिए कि वह इसकी क्षतिपूर्ति के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत मोटर दावा न्यायाधिकरण में पीटिशन फाइल करना न भूलें। यदि वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से अपने मोटर प्रतिकर की पीटिशन को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करा सकता है।

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,  
तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी ..... विधिक  
सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ—

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00,000/— (तीन लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –



## उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला-1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला-2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला-3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला-4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला-5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला-6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला-7 वैध्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला-8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला-9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला-10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला-11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला-12 भरण-पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला-13 उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला-14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला-15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला-16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला-17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला-18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला-19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला-20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला-21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला-22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला-23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला-24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला-25 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला-26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला-27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला-28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला-29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला-30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला-31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला-32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला-33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला-34 पुलिस शिकायत प्राधिकरण: एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला-35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला-36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला-37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 38. सरल कानूनी ज्ञान माला-38 | सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक                                      |
| 39. सरल कानूनी ज्ञान माला-39 | वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम                         |
| 40. सरल कानूनी ज्ञान माला-40 | एड्स को जानें  |
| 41. सरल कानूनी ज्ञान माला-41 | मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार |
| 42. सरल कानूनी ज्ञान माला-42 | शिक्षा का अधिकार- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा                   |
| 43. सरल कानूनी ज्ञान माला-43 | समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं                                |
| 44. सरल कानूनी ज्ञान माला-44 | कानून की जानकारी आखिर क्यों?                                     |
| 45. सरल कानूनी ज्ञान माला-45 | लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012                |
| 46. सरल कानूनी ज्ञान माला-46 | आपदा प्रबंधन   |
| 47. सरल कानूनी ज्ञान माला-47 | उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013                    |
| 48. सरल कानूनी ज्ञान माला-48 | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015                                  |

## विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्दमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्दमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

## निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रुपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोट:- क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

## अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :-

सभी जिलों में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य-सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल